20/6/22

पत्रावली बास्ते आदेश पेश हुई।
वकील प्रार्थी की बहस पर मनन
किया। पत्रावली पर उपलब्ध
राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी का अवलोकन
किया वर्तमान में वादग्रस्त आराजी
प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी में दर्ज
रिकॉर्ड है। अप्रार्थी प्रार्थना पत्र अनुसार
पक्षपात तरीके से वादग्रस्त के उत्तर
दिशा में रास्ते के कार्य अनुचित
तरीके से प्रारंभ कर निकाला
जा रहा है। प्रार्थीगण उक्त कृषि
भूमि पर कृषि कार्य करने में आ
आराजी पर पहुंचने के रास्ते का
सहारा चौकड़िया लगा रखा है।
जिसमें प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण
के पक्ष में प्रतीत होता है।
अप्रार्थीगण की ओर से भी कोई
जवाब पेश नहीं किया है।
जिससे प्रा. पत्र को स्वीकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 11:41:57 IST
Reason: SelfAttested

करने में बल मिलता है। जिससे प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है। सुविधा के संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिये समग्र विश्लेषण से प्रार्थीगण का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसलिये इस न्यायालय द्वारा जारी पूर्व आदेश का दिनांक 17.6.2016 को कन्फर्म किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा कारोटी की आराजी 314, 319, 326, 327, 331, 476, 477, 478 के संबंधित भूमि की किसी प्रकार सरहद नहीं निकाले व मेंड़बंदिया नहीं लगावे। किसी प्रकार की दस्तंदाजी न करे न करावे। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली ही फैसल ते सुपुर्द हो कर [illegible] दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.16 11:41:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी